न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत रैणी

पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या 1/327/14
अनुवान

1. उषा दवी बेवा गणेश जाति बाह्राण निवासी रैणी तहसील रैणी।
2. शिम्भूदयाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति बाह्राण निवासी रैणी तहसील रैणी।
3. श्यामलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति बाह्राण निवासी रैणी तहसील रैणी।
4. जगदीश दुर्गाप्रसाद जाति बाह्राण निवासी रैणी तहसील रैणी।
5. अतेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति बाह्राण निवासी रैणी तहसील रैणी।

–वादीगण

बनाम

1. शिवचरण पुत्र मांगेलाल जाति मीणा निवासी बहादरपुर तहसील रैणी।
2. उत्तम पुत्र पूरण मल जाति मीणा निवासी गूवाडा जामडोली तहसील रैणी।

–प्रतिवादीगण

दावा स्थाईनिषेधाज्ञा

आज यह पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत रैणी पर स्वप्रेरणा पेश हुई। वादीगण द्वारा इस न्यायालय में दावा स्थाईनिषेधाज्ञा का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा नं0 1122/0.13, 2117/0.05 2118/0.22, 2120/0.07, 2122/0.14/2123/0.23, 2144/0.01, 2256/0.40, 2257/0.39, 2265/0.28, 2266/0.21, 2270/0.13, 2340/6816/0.20, 2341/0.23, 2342/0.32, 2343/6817/0.22 वाके ग्राम रैणी मे स्थित है। जिस आराजी मे वादी संख्या 1 से 4 के पिता व ससुर 1/3 हिस्से मे काबिज खातेदार है। उनके बुजुर्ग दुर्गाप्रसाद की मृत्यु के बाद उसकी हिस्से की आराजी पर वादीगण कब्जाकाश्त है जिसका बाहमी बटवारा भी मौके पर किया हुआ है। जिस बटवारे के अनुसार वादीगण के हिस्से की आराजी हाल खसरा नं 2340/6816/0.20, 2341/0.23, 2342/0.32, 2343/6817/0.22 वाके ग्राम रैणी आई है। जिस पर वो काबिज होकर काश्त करे रहे है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई हक व संबध नही है प्रतिवादीगण झगडालु व भू माफिया प्रवृति के व्यक्ति है। तथा धन व बल पर अवैध प्लांटिग का कार्य करते है अब प्रतिवादीगण वादीगण उक्त आरजी पर जबरन कब्जा कर प्रार्थी को बदेखल करना चाहते हैं। व निर्माण करना चाहते है। जिसका उनको कोई अधिकार नही है। यदि उनके द्वारा ऐसा किया गया तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी अंत मे दावा वादी डिक्री करने का निवेदन किया है। पृष्टि मे दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 2069–72 खाता संख्या 225 वाके ग्राम रैणी व नक्शा ट्रेस की नकल पेश की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण का जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बाद सूचना तामिल के दिनांक 24.07.2015 को उपस्थित न्यायालय नही आने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जा चूकी है। आज पत्रावली कैम्प कोर्ट रैणी पर स्वप्रेरणा से वास्ते निर्णय पेश हुई पत्रावली का अवलोकन किया। वादीगण की और से वादपत्र की पृष्टि मे जो दस्तावेज नकल जमाबन्दी संवत 206.–72 खाता संख्या 225 वाके ग्राम रैणी व नक्शा ट्रेय पेश प्रतिवादीगण का किसी भी प्रकार का खातेदारी साबित नही है। और प्रतिवादीगण को अपने पक्ष मे रखने हेतु न्यायलय से सूचना बाबत नोटिस भी जारी किये गये है। परन्तु वो न्यायालय मे उपस्थित नही आये जिसके कारण दिनांक 24.07.2015 को उनकी तरफ से एकतरफा कार्यवाही भी हो चूकी है। प्रकरण मे मुख्य बिन्दू यह है कि जब आराजी विवादित पर प्रतिवादीगण का कोई खातेदारी इन्द्राज मुताबिक जमाबन्दी दर्ज नही है, तो वादीगण जो कि उक्त आराजी के अन्य खातेदारो के साथ हिस्से खातेदार दर्ज है। को प्रतिवादीगण द्वारा उनके कार्यकाश्त मे रूकावट करने का व आराजी से जबरन बदेखल कर कब्जा करने कोई अधिकारी साबित नही है। इस प्रकार दावा वादी स्थाईनिषेधाज्ञा काबिल डिक्री योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

दावा वादी स्थाईनिषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा नं0 2340/6816/0.20, 2341/0.23, 2342/0.32, 2343/6817/0.22 वाके ग्राम डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी

विवादित से वादीगण को उनके कार्यकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजामहत न करे। आराजी से वादीगण को जबरन बदेखल कर कब्जा ना करे, निर्माण न करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी पर सुनाया गया।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत रैणी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत रैणी

पीठासीन अधिकारी श्री सोहनराम चौधरी आर.ए.एस.

वाद संख्या	प्रवेश तिथि	किस्म वाद	निर्णय तिथि
1/327/14	16.12.2014	स्थाईनिषेधाज्ञा	02.05.2018

अनुवान

6. उषा दवी बेवा गणेश जाति बाह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी।
7. शिम्भूदयाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति बाह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी।
8. श्यामलाल पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति बाह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी।
9. जगदीश दुर्गाप्रसाद जाति बाह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी।
10. अतेन्द्र पुत्र रामप्रताप जाति बाह्मण निवासी रैणी तहसील रैणी।

–वादीगण

बनाम

3. शिवचरण पुत्र मांगेलाल जाति मीणा निवासी बहादरपुर तहसील रैणी।
4. उत्तम पुत्र पूरण मल जाति मीणा निवासी गूवाडा जामडोली तहसील रैणी।

–प्रतिवादीगण

दावा स्थाईनिषेधाज्ञा

पर्चा डिक्री दिनांक 02.05.2018

.

दावा वादी स्थाईनिषेधाज्ञा हाल आराजी खसरा नं0 2340/6816/0.20, 2341/0.23, 2342/0.32, 2343/6817/0.22 वाके ग्राम डिक्री किया जाता है। प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी विवादित से वादीगण को उनके कार्यकाश्त में किसी प्रकार की रूकावट व मजामहत न करे। आराजी से वादीगण को जबरन बदेखल कर कब्जा ना करे, निर्माण न करें। मौके की यथास्थिति बनाये रखे। पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 02.05.2018 को मेरे द्वारा लोक अदालत कैम्प कोर्ट वाके ग्राम रैणी तहसील रैणी पर तैयार की गई।

(पवन कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ जिला अलवर
कैम्प कोर्ट– ग्राम पंचायत रैणी